संख्याः 4—2(34)/2016—एसओएम—(वैल)—वीटी —11050-11052
निदेशालय,अनु0जाति,अन्य पिछडा वर्ग एवम अल्पसंख्यक मामले
हिमाचल प्रदेश। शिमला—09.

सेवा में

निदेशक,
सूचना एवम लोक सम्पर्क विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 4-5-2016 शिमला,171009

विषयः— **"विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना—सहयोग" के अन्तर्गत दक्षता वृद्धि घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने बारे।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर इस पत्र के साथ **"विकलांगजनों हेतु एकीकृत योजना—सहयोग" के अन्तर्गत दक्षता वृद्धि घटक के अन्तर्गत विकलांगजन हेतु प्रशिक्षण योजना** का विज्ञापन मसौदा भेजा जा रहा है ।अतः आपसे निवेदन है कि दो हिन्दी एंव एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों जिनका परिचालन हिमाचल में सर्वश्रेष्ठ हैं, में प्रकाशित करवाने की कृपा करें। विज्ञापन के प्रकाशन पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

संलग्नः—उपरोक्त

भवदीय,

निदेशक,
अनु0जा0,अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त(विकलांगता)हि0 प्र0

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि— 11050-11052 दिनांक,शिमला—09 4-5-2016
प्रतिलिपिः—1. आयुक्त एवं निदेशक,श्रम एवं रोजगार हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
2. आई0टी0 प्रोग्रामर, निदेशालय,अनुसूचित जाति,अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हि0प्र0 शिमला को इस आश्य के साथ भेजकर लिखा जाता है कि संलग्न विज्ञापन व आवेदन पत्र को विभागीय वैबसाईड में तुरन्त अपलोड करें

निदेशक,
अनु0जा0,अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त(विकलांगता)हि0 प्र0

विज्ञापन

सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश।

सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचित **''विकलांगजन हेतु एकीकृत योजना–''सहयोग'' के दक्षता वृद्धि घटक** के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांग) सुन्दरनगर जिला मण्डी में निम्न ट्रेडों के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अस्थि दोष ,श्रवण दोष एवं दृष्टिवाधित (Orthopaedically impaired,Hearing Impaired and Visualy Impaired) से सम्बन्धित आवेदक/उम्मीदवार, जिन की विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक हो, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो तथा जिनके माता–पिता/संरक्षक की वार्षिक आय सभी स्त्रोतों से 1,00,000/– रूपये से कम हो, से निम्नलिखित व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

क0सं0	व्यवसाय का नाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षण की अवधि	विकलांगता की श्रेणी जो प्रशिक्षण हेतु पात्र है	ट्रेड के अन्तर्गत जितनी सीटें उपलब्ध है
1	2	3.	4	5.	6.
1.	कम्पयूटर ओपरेटर कम प्रोग्रामिंग ऐसीसटैन्ट	Passed 10th Class Examination under 10+2 or equivalent	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/लो विजन	26
2.	डैस्कटौप पबलिशिगं ओपरेटर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	26
3.	ड्रावस्मेन (सिविल)	Passed in 10th Class Examination under 10+2 system of education with Science and Mathematics or its equivalent	4 समैस्टर	अस्थि दोष (एलएल)/श्रवण दोष(पी)	26
4.	इलैक्टीशियन	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	21
5.	फिटर	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/लो विजन	21
6	वैल्डर	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	21
7	मकैनिक (मोटर व्हीकल)	-do-	4 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष	21
8	सिविंग टैक्नोलौजी	Pass in matric with Hindi or equivalent (Pass in Hindi is compulsory)	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/लो विजन	21
9	सरफेस औरनामैन्ट टैक्निक्स (एम्ब्रौएडरी)	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष/श्रवण दोष/ लो विजन	21
10	बेसिक कौस्मैटोलौजी	-do-	2 समैस्टर	अस्थि दोष (एलएल)/श्रवण दोष(पी)	26

अन्य शर्तें :–

1. गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 1000/– रूपये प्रतिमाह छात्रवृति भी दी जाएगी।
3. प्रशिक्षण अविध के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का कोर्स शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। परन्तु महिल प्रशिक्षणार्थी के रहन–सहन हेतु छात्रावास की व्यवस्था विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान(महिला बच्च हेतु) सुन्दरनगर में सरकार द्वारा की गई हैं। चयनित महिला प्रशिक्षणार्थियों को आई0टी0आई0 से विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान सुन्दरनगर तक लाने व ले जाने की सुविधा बिना शुल्क के उपलब्ध करवाइ जायेगी।
4. उम्मीदवार को प्रवेश मैरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
5. इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (विकलांग) सुन्दरनगर जिला मण्डी तथा अपने क्षेत्र के तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र/आयु प्रमाण–पत्र / सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से जारी बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र/ सम्बन्धित तहसीलदार से जारी नवीनतम पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण–पत्र/हिमाचली प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियों सहित दिनांक 20–05–2016 तक भेज सकते है। अधिक जानकारी के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी या विभागीय वेबसाइट **www. himachal.nic.in/soma** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक
अनु0जा0,अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले
एवं संयुक्त आयुक्त (विकलांगता)हि0 प्र0